

असाधारमा EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-क्षण्ड (i)
PART II—Section 3-—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

चं. 62] नई बिल्ली, बृहस्पतिबार, फरवरी 4, 1988/माघ, 15, 1909 No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1988/MAGHA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ राष्ट्रया की जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के क्या की रक्षा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मैत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1988

भ्रधिमूचना

सा.का.नि. 79(म्र.):—केन्द्रीय नरकार, प्रमामनिक भ्रधिकरण म्रधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त मित्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रभासनिक श्रधिकरण (भ्रष्ट्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन

सथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए एतवढ़ारा निम्ने-लिखित नियम बनाती है, श्रर्थाल :---

- (1) इत नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक ग्रधिकरण (ग्रध्यक्ष, उपाध्यंक्ष और सबस्यों के वेतन और मत्ते तथा सेवा की शर्ते) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1988 है।
 - (2) ये पहली भ्रवतूबर, 1986 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
- 2. केन्द्रीय प्रशासनिक मधिकरण (ग्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की शत्ते) नियमावली, 1985 में, नियम 4 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा; ग्रर्थात् :---

"4क, नगर भत्ता.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भ्रपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर भक्ता प्राग्त करेंगे जो 7300-100-7600 भ्रथवा उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 'क' के अधिकारियों को भ्रनुश्चेय है।"

> [संख्या ए-12018/5/86-ए.टी.] (श्रीमनी) पी.बी. बल्सला जी बुट्टी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 अक्तूबर, 1986 से केन्द्रीय सिबिल सेवा समृह 'क' के सबंध में नगर भर्ती में संशोधन किए जाने संबंधी चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया हैं। तदनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियमावली 1985 में 1 अक्तूबर, 1986 से संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस ग्रिधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक ग्रिधिकरण के किसी ग्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

पाव टिप्पणी: मुख्य नियम सा.का.नि. 644 (ई), विनांक 10 ग्रगस्त, 1985 द्वारा भारत के राज पक्ष में प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें संख्या सा. का. नि. 585(ई), विनांक 18 जून, 1987 सथा 9(ई) विनांक 6-1-88 द्वारा मंशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 4th February, 1988

NOTIFICATION

- G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of subsection (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely:—
 - (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Second Amendment Rules, 1988.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1986.
- 2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"4A. City Compensatory Allowance:

The Chairman, Vice-Chairmen and a Member shall receive City Compensatory Allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above."

[No. A-12018|5|86-AT]

(Smt.) P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the decisions taken on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to revision of City Compensatory Allowance in respect of the Central Civil Services Group 'A' with effect from 1st October, 1986. The Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from 1st October, 1986.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Foot note:—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 644(dated the 10th August, 1985 in the Gazette of India and subse quently amended vide

- (i) No. G.S.R. 585(E) dated 18-6-1987 and
- (ii) No. G.S.R. 9(E) dated 6-1-1988.